

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्थें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे/(1149)/2019/252

दिनांक 22/04/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके जन्म के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूरा करने के अनुरोध के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स	नाम कर्मचारी व पद	पद धारण स्थान	जन्म तिथि	से नि तिथि
1	श्री रजनीश जैम्स, वरि लै टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तलवाडा (बासवाडा)	20 09 1959	30 09 2019
2	श्री राम दयाल वर्मा, लै टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)	07 08 1959	31 08 2019
3	श्री बाबूलाल जैन, लै टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनवाँ (बून्दी)	10 05 1959	31 05 2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध --

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 22/04/19

क्रमांक :- ई-33/लै.टे/(1149)/2019/252

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 निदेशक पेशान एवं पेशानर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन उदयपुर/भरतपुर/कोटा।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा / करौली / बून्दी।
- 4 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तलवाडा (बासवाडा)/हिण्डौन सिटी (करौली)।
- 5 चिकित्सा अधिकारी प्रभासी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनवाँ (बून्दी)।
- 6 प्रभासी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 7 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8 आदेश/डीपीसी सैल/निजो पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयों के विरुद्ध यदि आडिट पेशा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराए।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर